



Office of Students Affairs

The following CODE OF CONDUCT is expected from the students:

- 1) Do follow the HALL OF RESIDENCE RULES and REGULATIONS.
- 2) You are notified that RAGGING IS A CRIMINAL OFFENCE. In case you become a victim or notice any such incident, report the matter to your HALL OF RESIDENCE WARDEN, CARETAKER, SECURITY or ANTI- RAGGING Committee. Your identity will be kept strictly confidential. Please go through the Anti- Ragging Rules (<https://www.antiragging.in/>).
- 3) If it comes to the notice of the management that anybody is involved in any ragging activity either directly or indirectly, he/she will be liable to strict disciplinary action as mentioned under the guidelines of the ANTI- RAGGING Committee of IITDM Jabalpur.
- 4) You are notified that CONSUMPTION or keeping in your possession OF ANY BANNED SUBSTANCES, e.g., ALCOHOL or tobacco product or any kind of drugs IS PROHIBITED WITHIN THE INSTITUTE PREMISES. Violation of the same will be viewed very seriously, and appropriate disciplinary action will be taken.
- 5) The security guard may use a breath alcohol analyzer to test the students at the institute main gate, when a security guard has probable cause to believe student has consumed banned substance.
- 6) The security guard may search student's belongings at the institute main gate. If a security guard has cause to believe student has suspicious things in his/her possession.
- 7) Students are NOT permitted to keep / use a motorized vehicle (except married PG students). In case of any type of accidents / mishaps resulting from such unauthorized use of motorized vehicles (inside or outside Institute campus), the Institute will not be held responsible. If any student (except married PG students) is found using any motorized vehicle, a fine of Rs. 1000=00 will be imposed.
- 8) Students are not allowed to go out of campus between 22:00 to 06:00 hrs. All students should return to their hostel rooms latest by 22:30 hrs.
- 9) Student can contact institute security office via 07612794162 in emergency case 24x7.
- 10) All Students need to do entry in the register of the main gate of institute if they go outside from the campus and/or coming to institute.
- 11) Students are not allowed to enter the UNDER-CONSTRUCTION building sites for any reason. If found, they will be heavily penalized and disciplinary action may be initiated.
- 12) Students are not allowed to enter the forest area.
- 13) Students are advised not to go for a walk in the dark areas of the campus.
- 14) The entry to the terrace / rooftop of Institute buildings is prohibited for students (except specific occasion on permission from Dean, Students).
- 15) All valuable items such as cash, camera, gold items, and electronic items such as laptop, iPod, etc. are always to be kept locked in the cupboard. Students should take care of their belongings.
- 16) Always LOCK your rooms on your way out.
- 17) Halls of residences are guarded by security guard, round the clock.
- 18) On many occasions, STUDENTS have been helpful to security officers by nabbing miscreants. We also expect you to be an effective member in this regard and be VIGILANT and assist us as and when required. Security is everybody's concern, so please cooperate.

- 19) In case you are unfamiliar with JABALPUR city, do acquaint yourself from your Hall of Residence inmates properly about the rules/regulations and any risks involved, before moving out.
- 20) Always carry your IDENTITY CARD while moving out of Institute campus. You may be asked to produce it at any time by the relevant authority.
- 21) Transport facility (buses) has been arranged for visiting markets.
- 22) In case of an emergency in which external agencies such as police, fire-brigade, etc. need to be called, the student should immediately first contact the SECURITY, CARETAKER or HALL OF RESIDENCE OFFICE who will then contact the emergency services on behalf of the Institute.



Dean (Students)




पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

विधार्थी क्रियाकलाप कार्यालय

छात्रों से निम्नलिखित आचार संहिता अपेक्षित है:

- 1) छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करें।
- 2) यह विदित हो कि रैगिंग करना एक अपराध है। यदि आप इससे पीड़ित हैं या ऐसी कोई घटना आपकी संज्ञान में आती है, तो इस मामले को अपने छात्रावास के वार्डन, केयरटेकर, सिक्योरिटी या एंटी रैगिंग कमेटी को रिपोर्ट करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कृपया रैगिंग रोधी नियमों हेतु (<https://www.antiragging.in/>) को देखें।
- 3) यदि प्रबंधन के संज्ञान में आता है कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग गतिविधि में शामिल है तो उस पर आईआईआईटीडीएम जबलपुर की रैगिंग विरोधी समिति के दिशा-निर्देशों के तहत उल्लेखित कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 4) यह विदित हो कि संस्थान परिसर के भीतर किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ, जैसे शराब या तंबाकू उत्पाद या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन या पास में रखना निषिद्ध है। इसका उल्लंघन करने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 5) संस्थान के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड द्वारा संदेह होने पर कि छात्र ने प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है, छात्रों का परीक्षण करने के लिए शराब विश्लेषक (उपकरण) का उपयोग किया जा सकता है।
- 6) यदि किसी सुरक्षा गार्ड को छात्र के पास संदिग्ध चीजें होने का संदेह होता है तो सुरक्षा गार्ड संस्थान के मुख्य द्वार पर छात्रों के सामान की तलाशी ले सकता है।
- 7) छात्रों को मोटर चालित वाहन (विवाहित पीजी छात्रों को छोड़कर) रखने / उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मोटर चालित वाहनों (संस्थान परिसर के अंदर या बाहर) के ऐसे अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं / दुर्घटनाओं के मामले में, संस्थान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि कोई छात्र (विवाहित पीजी छात्रों को छोड़कर) किसी भी मोटर चालित वाहन का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 1000 = 00 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 8) छात्रों को 22:00 बजे से 06:00 बजे के बीच परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सभी छात्रों को 22:30 बजे तक अपने छात्रावास में वापस आना होगा।
- 9) छात्र आपातकालीन स्थिति में 07612794162 के माध्यम से संस्थान सुरक्षा कार्यालय से 24x7 संपर्क कर सकते हैं।
- 10) सभी छात्रों को संस्थान के मुख्य द्वार के रजिस्टर में बाहर जाने और / या आने की प्रविष्टि करना होगा।
- 11) छात्रों को किसी भी कारण से निर्माणाधीन भवन स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसा पाए जाने पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 12) छात्रों को वन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
- 13) छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिसर के अंधेरे क्षेत्रों में टहलने न जाएं।

- 14) संस्थान भवनों की छत पर जाना छात्रों के लिए निषिद्ध है।
- 15) सभी मूल्यवान वस्तुएं जैसे नकदी, कैमरा, सोने की वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे लैपटॉप, आइपॉड आदि को हमेशा अलमारी में बंद रखना चाहिए। छात्रों को अपने सामान का स्वयं ध्यान रखना चाहिए।
- 16) हमेशा बाहर जाने पर अपने कमरे को लॉक करें।
- 17) छात्रावास चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड द्वारा संरक्षित किए जाते हैं।
- 18) कई मौकों पर छात्र उपद्रवी छात्रों के बारे में सूचना देकर सुरक्षा अधिकारियों की मदद कर चुके हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप इस संबंध में एक प्रभावी सदस्य बनें और सतर्क रहें और आवश्यकतानुसार हमारी सहायता करें। सुरक्षा हर किसी की चिंता है, इसलिए कृपया सहयोग करें।
- 19) यदि आप जबलपुर शहर से अपरिचित हैं, तो बाहर जाने से पहले, अपने छात्रावास के निवासियों से नियमों/विनियमों और इसमें शामिल किसी भी जोखिम के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो जाएं।
- 20) संस्थान परिसर से बाहर निकलते समय हमेशा अपना पहचान पत्र ले जाएं। आपको संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय इसे पेश करने के लिए कहा जा सकता है।
- 21) बाजारों में जाने के लिए परिवहन सुविधा (बसों) की व्यवस्था की गई है।
- 22) आपातकाल के मामले में जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि जैसी बाहरी एजेंसियों को बुलाने की आवश्यकता होती है, छात्र को तुरंत पहले सुरक्षा, कार्यवाहक या छात्रावास कार्यालय से संपर्क करना चाहिए ताकि संस्थान की ओर से आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया जा सके।


28-9-22

अधिष्ठाता (छात्र)